

न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 87/2022 (2022/147)

अपीलान्ट :-

नरपतसिंह पुत्र मदनलाल, उम्र 55 वर्ष, जाति माली, निवासी ढाणाबेरा, मण्डोर, जोधपुर।

बनाम

रेस्पोंडेन्ट्स :-

1. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर उपखण्ड VII, जोधपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध आदेश दिनांक 12.09.2022 जो राजस्व प्रकरण संख्या 18/2022 अनवान सरकार बनाम नरपतसिंह में अन्तर्गत धारा 91, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत तहसीलदार जोधपुर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :-

1. अधिवक्ता श्री लाधूराम पूनिया (अपीलार्थी)।
2. अप्रार्थीपक्ष नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

—: आदेश :- दिनांक :- 30.01.2023

अपीलार्थी ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध आदेश दिनांक 12.09.2022 जो राजस्व प्रकरण संख्या 18/2022 अनवान सरकार बनाम नरपतसिंह में अन्तर्गत धारा 91, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत तहसीलदार जोधपुर द्वारा पारित किया गया, के विरुद्ध पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को नोटिस जारी किया गया। प्रकरण से संबंधित मूल रेकॉर्ड तहसीलदार जोधपुर से प्राप्त किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित। प्रकरण में अपीलान्ट अभिभाषक की बहस दिनांक 19.01.2023 को सुनी गई।



अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बतलाया कि अपीलार्थी के पिता श्री मदनलाल की ग्राम मण्डोर में खसरा नं० 670 रकबा 18 बीघा 1 बिस्वा की 1/3 हिस्से की खरीदशुदा खातेदारी भूमि स्थित है। जिसमें से 2 बीघा 16 बिस्वा भूमि बिना किसी अवाप्ति व समर्पण के जरिये नामान्तरकरण संख्या 305 के जरिये सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज कर दी गई, जिसके विरुद्ध अपीलार्थी के पिता ने एक नामान्तरकरण अपील न्यायालय में प्रस्तुत कर रखी है जो विचाराधीन है। प्रत्यर्थी संख्या 1 के द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 02 को शिकायत पेश कर बतलाया कि सड़क के खसरा की भूमि में पक्की दीवार, मकान, कच्ची दीवार बनाकर किये गये अतिक्रमण को हटाया जावे। जिस पर पटवारी हल्का मण्डोर द्वितीय ने धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत वर्तमान भूमि खसरा नं० 2048/670 पर बनी दुकान व प्लेटफार्म, कच्ची दीवार, प्याऊ को हटाने के लिए तहसीलदार जोधपुर को रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे तहसीलदार ने दर्ज कर अपीलार्थी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। अपीलार्थी तारीख पेशी दिनांक 12.09.2022 को तहसील कार्यालय में हाजिर होकर जवाब के लिए समय मांगा लेकिन न्यायालय द्वारा उसी दिन अपीलार्थीन आदेश पारित कर दिया गया। अपीलार्थी के खसरा नं० 670 में से कोई भूमि आवाप्त नहीं की गई है अपीलार्थी का खसरा सड़क में गलत काटा गया है। तहसीलदार ने दिनांक 12.09.2022 को अपीलार्थी के विरुद्ध बेदखली जुर्माना का आदेश पारित किया, जो विधि विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है।

अपीलार्थी ने निरन्तर बहस में बतलाया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का व शिकायतकर्ता सहायक अभियन्ता के भी उनकी रिपोर्ट के समर्थन में कोई बयान नहीं लिए तथा भूमि अपीलार्थी की खातेदारी की थी जिसको अवैध नामान्तरकरण के द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज कर दी गई। उक्त भूमि अपीलार्थी की खातेदारी भूमि है जिस पर अपीलार्थी व उसके पिता का कब्जा खरीद तारीख से चला आ रहा है तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग को भूमि का कब्जा कभी मिला ही नहीं। अतः धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की कार्यवाही से कब्जा नहीं दिलाया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त कार्यवाही क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर की है जो विधिविरुद्ध होने से निरस्त योग्य है।

अपीलार्थी ने बहस के अन्त में बतलाया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज किये गये नामान्तरकरण संख्या 305 ग्राम मण्डोर दिनांक 26.10.1977 के

विरुद्ध अपीलार्थी ने एक अपील प्रस्तुत की जो न्यायालय में विचाराधीन है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही गलत होने से निरस्त योग्य है।

हमने अपीलान्त अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रिकॉर्ड का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है उक्त भूमि राज्य सरकार के आदेशानुसार सड़क में आए रकबें का नामान्तरकरण सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दिनांक 26.10.1977 को स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तरकरण आज भी अस्तित्व में है। अतः अपीलार्थी द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग के खाते में दर्ज भूमि जिसकी किस्म गै0 मु0 सड़क है पर अतिक्रमण किया गया है तथा तहसीलदार द्वारा धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विधिवत् कार्यवाही अपनाते हुए बेदखली का आदेश पारित किया गया है, जो विधिवत् व न्यायसंगत है तथा अपीलाधीन आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख आदेश की प्रति के साथ भिजवाया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

आदेश आज दिनांक 30.01.2023 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।